संख्या:5/2026/499/ई-1/तेरह-2026-1703489/2023

प्रेषक,

दयाराम,
उप सचिव,
उ.प्र. शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उ.प्र., प्रयागराज।

आबकारी अनुभाग-1 लखनऊः दिनांक: 13 अप्रैल, 2026

विषयः-वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-1 आबकारी विभाग के लिये प्राविधानित धनराशि निर्गत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-जी.3/एक-4/बजट अनुमान/आबकारी/2026-27, दिनांक 07.04.2026 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या-4/2026/बी-1-352/दस-2026-231/ 2026, दिनांक 28.03.2026 में निहित प्राविधानों के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27हेतु अनुदान संख्या-1 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2039-राज्य उत्पाद शुल्क, 2059-लोकनिर्माण कार्य, 2216-आवास के अन्तर्गत संगत लेखा शीर्षकों में प्राविधानित धनराशि रु. 6,40,10,44,000.00 (राजस्व मद मतदेय) (रू. छः अरब चालीस करोड़ दस लाख चौवालीस हजार मात्र)फॉंटवार विवरणके अनुसार आपके निवर्तन पर निम्नवत रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

अनुदान संख्या-001		
लेखा शीर्षक/उप मद		
2039-राज्य उत्पाद शुल्क आयोजनेत्तर **001- निदेशन और प्रशासन** **03- अधीक्षण**	**आय-व्ययक प्राविधान (2026-2027) (धनराशि रू. में)**	**आवंटित की जाने वाली धनराशि (धनराशि रू. में)**
01- वेतन	408154000.00	408154000.00
02-मजदूरी	1000000.00	1000000.00
03- मंहगाई भत्ता	265300000.00	265300000.00
04-यात्रा व्यय	2000000.00	2000000.00
05- स्थानान्तरण यात्रा व्यय	1100000.00	1100000.00
06- अन्यभत्ते	1600000.00	1600000.00
07- मानदेय	20000.00	20000.00
08-कार्यालय व्यय	7500000.00	7500000.00
09-विद्युत देय	12000000.00	12000000.00
10-जलकर/जलप्रभार	4000000.00	4000000.00
11-लेखन सामग्री एवं फार्मोकीछपाई	1500000.00	1500000.00
12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	3000000.00	3000000.00
13-टेलीफोन परव्यय	5000000.00	5000000.00
15- गाड़ियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल आदि की खरीद	16000000.00	16000000.00
16-व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	10000000.00	10000000.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

17-किराया उपशुल्क एवं कर-स्वामित्व	21500000.00	21500000.00
18- प्रकाशन	200000.00	200000.00
19-विज्ञापन बिक्री और विख्यापन व्यय	1000000.00	1000000.00
23- गुप्त सेवा व्यय	2000000.00	2000000.00
39- औषधि तथा रसायन	600000.00	600000.00
42- अन्य व्यय	50000.00	50000.00
44- प्रशिक्षणहेतुयात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	500000.00	500000.00
45- अवकाश यात्रा व्यय	50000.00	50000.00
46- कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	500000.00	500000.00
47- कम्प्यू0 अनु0/तत्सं स्टेशनरी का क्रय	2000000.00	2000000.00
49-चिकित्सा व्यय	4000000.00	4000000.00
51-वर्दी व्यय	2400000.00	2400000.00
55 - मकान किराया भत्ता	35000000.00	35000000.00
58 -आउट सोर्सिंग सेवाओ हेतु भुगतान	12500000.00	12500000.00
योग-03	**820474000.00**	**820474000.00**
लेखा शीर्षक/उप मद		
2039-राज्य उत्पाद शुल्क आयोजनेत्तर 001- निदेशन और प्रशासन 04-जिला कार्यकारी अधिष्ठान	**आय-व्ययक प्राविधान (2026-2027)**	**आवंटित की जाने वाली धनराशि**
08-कार्यालय व्यय	5000000.00	5000000.00
19-विज्ञापन बिक्रीऔरविख्यापन व्यय	50000000.00	50000000.00
42- अन्य व्यय	2000000.00	2000000.00
योग-04	**57000000.00**	**57000000.00**
2039-राज्य उत्पाद शुल्क आयोजनेत्तर 001- निदेशन और प्रशासन 05- भट्ठियों	**आय-व्ययक प्राविधान (2026-2027)**	**आवंटित की जाने वाली धनराशि**
01- वेतन	2288406000.00	2288406000.00
03- मंहगाई भत्ता	1487464000.00	1487464000.00
04-यात्रा व्यय	2000000.00	2000000.00
05- स्थानान्तरण यात्रा व्यय	5000000.00	5000000.00
06- अन्य भत्ते	13000000.00	13000000.00
08-कार्यालय व्यय	10000000.00	10000000.00
09-विद्युत देय	6000000.00	6000000.00
10-जलकर/जलप्रभार	1500000.00	1500000.00
11-लेखन सामग्री एवं फार्मो की छपाई	1500000.00	1500000.00
12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	5000000.00	5000000.00
13-टेलीफोन परव्यय	2000000.00	2000000.00
15- गाड़ियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल आदि की खरीद	150000000.00	150000000.00
16-व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	1000000.00	1000000.00
17-किराया उपशुल्क एवं कर-स्वामित्व	1000000.00	1000000.00
42- अन्यव्यय	500000.00	500000.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

44- प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं प्रसंगिक व्यय	500000.00	500000.00
45- अवकाश यात्रा व्यय	200000.00	200000.00
46- कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	1000000.00	1000000.00
47- कम्प्यू0 अनु0/तत्सं स्टेशनरी का क्रय	2000000.00	2000000.00
49-चिकित्सा व्यय	25000000.00	25000000.00
55 - मकान किराया भत्ता	130000000.00	130000000.00
58 -आउट सोर्सिंग सेवाओ हेतु भुगतान	20000000.00	20000000.00
योग-05	**4153070000.00**	**4153070000.00**
2039-राज्य उत्पाद शुल्क आयोजनेत्तर 001- निदेशन और प्रशासन 06-कम्प्यूटरीकरण एवं आनलाइन एक्साइज मैनेजमेन्ट सिस्टम की स्थापना	**आय-व्ययक प्राविधान (2026-2027)**	**आवंटित की जाने वाली धनराशि**
16-व्यवसायिक तथाविशेष सेवाओं के लिए भुगतान	1250000000.00	1250000000.00
46- कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	100000000.00	100000000.00
47- कम्प्यू0 अनु0/तत्सं स्टेशनरी का क्रय	6000000.00	6000000.00
योग-06	**1356000000.00**	**1356000000.00**
योग-001	**6386544000.00**	**6386544000.00**
800- अन्यव्यय 03-क्षेत्रीय प्रयोगशाला		
42- अन्यव्यय	10000000.00	10000000.00
योग-800	**10000000.00**	**10000000.00**
योग-2039	**6396544000.00**	**6396544000.00**
2059-लोक निर्माण कार्य 01-कार्यालय भवन 051-निर्माण 03-अनावसीय भवन की मरम्मत व रख- रखाव	**आय-व्ययक प्राविधान (2026-2027)**	**आवंटित की जाने वाली धनराशि**
29-अनुरक्षण	2500000.00	2500000.00
योग-051	2500000.00	2500000.00
योग-01	2500000.00	2500000.00
योग-2059	**2500000.00**	**2500000.00**
2216-आवास 01-सरकारी रिहायसी भवन 700-अन्य आवास 03-आबकारी विभाग के आवासीय भवन की मरम्मत व रख- रखाव	**आय-व्ययक प्राविधान (2026-2027)**	**आवंटित की जाने वाली धनराशि**
29-अनुरक्षण	2000000.00	2000000.00
योग-700	2000000.00	2000000.00
योग-01	2000000.00	2000000.00
योग-2216	2000000.00	2000000.00
योग- राजस्व मद मतदेय	**6401044000.00**	**6401044000.00**

http://shasanadesh.up.gov.in

(1) उक्त मदवार धनराशियों को व्यय करने मेंवित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या-4/2026/बी-1-352/ दस-2026-231/ 2026, दिनांक 28.03.2026में दिये गये निर्देशों एवं समय-समय पर सुसंगत शासनादेशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) उपरोक्तानुसार प्राविधानित धनराशि विभागाध्यक्ष के निवर्तन पररखते हुए यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशियों का प्रदेशन (एलाटमेन्ट)मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। व्यय करने केपूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल और फाइनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथास्थायी आदेशों के अन्तर्गत सम्बन्धित/सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्तकी जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्यप्राप्त कर ली जाये।

(3) यदि किसी व्यय के लिये शासन स्तर से वित्तीय एवं प्रशासकीयस्वीकृति का प्रस्ताव शासन को संदर्भित किया जाय, तो संदर्भित व्यय के लियेआय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि की उपलब्धता इंगित करते हुए लेखाशीर्षकका भी उल्लेख प्रस्ताव में अंकित किया जाये।

(4) उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के पैरा-88 के अनुसार नियंत्रक अधिकारी/विभागाध्यक्ष इस बात को सुनिश्चित् करेंगे कि व्यय को कड़ाई के साथप्राधिकृत विनियोग के भीतर रखा जाये तथा निवर्तन पर रखी जा रही धनराशितत्काल अधीनस्थ कार्यालयों को आवंटित कर उसकी एक प्रति शासन को उपलब्धकरायी जाये।

(5) आवंटित धनराशि के सापेक्ष किये गये व्यय नियंत्रण के संबंध में वित्त विभागके शासनादेश संख्या-बी-1-1195/ दस-16/94 दिनांक 06 जून 1994 एवं शासनादेश संख्या-4/2026/बी-1-352/ दस-2026-231/ 2026, दिनांक 28.03.2026 के निर्देशोंका अनुपालन कड़ाई के साथ सुनिश्चित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का व्ययफाइनेंशियल हैण्डबुक व वित्तीय नियम संग्रह एवं अन्य वित्तीय व्यवस्थाओं केअनुरूप ही किया जायेगा तथा व्यय की गई धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्रनिर्धारित प्रपत्र पर सक्षम स्तर से प्रतिहस्ताक्षरित करते हुये समय सेउपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय। स्वीकृत धनराशि का अन्तरण दूसरे मद मेंनहीं किया जायेगा और यदि ऐसा करना अति आवश्यक हो तो उसका औचित्य स्पष्टकरते हुये शासन की पूर्व अनुमति अनिवार्य रूप से प्राप्त की जायेगी।

भवदीय,

(दयाराम)
उप सचिव।

संख्या:5/2026/499(1)ई-1/तेरह-2026, दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ.प्र., प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ.प्र., प्रयागराज।
3. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, प्रथम तल, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. निदेशक, कोषागार, उ.प्र., जवाहर भवन, लखनऊ।
5. कोषाधिकारी, प्रयागराज।
6. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-9
7. वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-1
8. गार्ड फाइल।

(दयाराम)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in